निधि कंपनियों पर नियामक कार्यवाही में वृद्धि

स्रोत: लाइव मिंट

- वर्ष 2024 में, **कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA)** और कंपनी रजिस्ट्रार (RoC) ने निधि कंपनियों तथा **लाभकारी स्वामित्व प्रकटीकरण में विफल रहने वाली फर्मों** के खिलाफ **कार्यवाही तेज़** कर दी है।
- ऐसा वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने, गैर-बैंकिंग क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा कॉर्पोरेट प्रशासन को मज़बूत करने के लिये किया गया।
- कंपनी रजिस्ट्रार ने निधियों के विरुद्ध 131 आदेश जारी किये, जो **वर्ष 2023 से 72% अधिक** है, जिसमें 10,000 रुपए से 30 लाख रुपए तक का जुर्माना शामिल है।
- **लाभकारी स्वामित्व** से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो **अंततः किसी कंपनी के मालिक होते हैं या उस पर नियंत्रण रखते हैं** , भले ही शेयर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हों।
    - कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, कंपनियों को उन व्यक्तियों की पहचान का प्रकटन करना होगा जिनके पास **महत्त्वपूर्ण नियंत्रण है या जो 25% या उससे अधिक शेयरों के मालिक** हैं।
- **निधि कंपनियाँ** गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC) हैं जो **कंपनी अधिनियम, 2013** की **धारा 406** के तहत संचालित हैं।
    - ये कंपनियाँ **बचत को प्रोत्साहित करने** तथा विशेष रूप से अपने **सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराने** के लिये बनाई गई हैं।
    - निधियों को **RBI लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है** , लेकिन उन्हें सख्त प्रकटीकरण और परिचालन मानदंडों का पालन करना होगा।
    - वे **पब्लिक लिमिटेड कंपनियों** के रूप में पंजीकृत हैं और उनके नाम में **"निधि लिमिटेड"** शामिल है।
    - उन्हें एक वर्ष के भीतर न्यूनतम **200 सदस्य** और **20 लाख रुपए की शुद्ध स्वामित्व निधि** बनाए रखनी होगी।

और पढ़ें: निधि कंपनियाँ

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/increased-regulatory-action-on-nidhi-companies